सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.08.2023

लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त–विजय कुमार उर्फ कोलाहे कोरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विजय कुमार उर्फ कोलाहे कोरी पुत्र बाबादीन कोरी नि0 पाण्डेयपुर मिश्रौलिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–285/23, धारा 363,366 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 आदित्य गौरव श्रीवास्तव मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.08.2023

'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 10–10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 15,000–15,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को 10–10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 15,000–15,000/– के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोप में 02 आरोपी अभियुक्तों–01. मिश्रीलाल, 02. सालिकराम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार का0 उपेन्द्र वर्मा के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 10–10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 15,000–15,000/– के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. मिश्रीलाल पुत्र मंगल पासी नि0 पसियनपुरवा सेमरीकला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. सालिक राम पुत्र मंगल पासी नि0 पसियनपुरवा सेमरीकला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–103/20, धारा 323,504,506,307,34 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.08.2023

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 25.08.2023 को थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त पवन कुंमार पाल को बसालतपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 320 अल्प्राजोलम की नशीली गोलिया बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 करनैलगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. पवन कुमार पाल पुत्र माधव राजपाल नि0 भईराहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–488/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 320 अल्प्राजोलम टैबलेट।

गिरफ्तार कर्ता–

उ0नि0 अमित यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.08.2023

जालसाजी व धोखाधड़ी करके ट्रैक्टर हड़पने के वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में थाना को0 मनकापुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर जालसाजी व धोखाधड़ी कर ट्रैक्टर हड़पने के 02 वांछित अभियुक्तों– लवकुश गिरी, 02. पवन मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद सोनालिका ट्रैक्टर बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी रामसरन वर्मा नि0 महरागौरा थाना छपिया जनपद गोण्डा का ट्रैक्टर धोखाधड़ी करके हडप्प लिया था। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विरूद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01.लवकुश गिरी पुत्र रामनाथ गिरी नि0 ग्राम गुनौर थाना को0. मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. पवन मिश्रा पुत्र संतराम मिश्रा नि0 ग्राम गुनौर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 – 379/23, धारा 406,420,467,468,471 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. नि0आ0 अरूण कुमार मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.08.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अमृता पत्नी संतोषी नि0 ग्राम बढया मौजा बनकसिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–265/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर किया गया थाना समाधान दिवस का आयोजन–

समाधान दिवस के अवसर पर आज दिनांक 26.08.2023 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में जनपद गोण्डा के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज ने थाना को0 नगर व थाना को0 देहात में आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। समस्त क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों पर थाना समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया गया। जनपद के समस्त थानों से कुल–215 प्रार्थना प्राप्त हुए जिसमें 19 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष राजस्व संबंधित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को निस्तारण हेतु मौके पर रवाना किया गया ।

इस दौरान राजस्व एवं पुलिस के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।